संख्या: 89/2023/1281/छप्पन-2023-34/1994

प्रेषक,

कुमार हर्ष,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
वाराणसी मण्डल,
वाराणसी।

2. निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग — लखनऊ: दिनांक: 04 सितम्बर, 2023

विषय: लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी के विस्तारीकरण हेतु भूमि का क्रय।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के पत्रांक 1030/डी0एल0आर0सी0/ 2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 तथा जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्रांक 1882/आठ-वि0भू0अ0अ0 (सं0सं0)/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 125/ना0उ0नि0/वाराणसी/ 2023 दिनांक 17 अगस्त, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाराणसी अर्न्तराष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की परियोजना हेतु वांछित 144.196 है0 (लगभग 356.5 एकड़) भूमि भू-स्वामियों से आपसी सहमति से क्रय करने हेतु शासनादेश संख्या 2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार परियोजना के कुल भूमि मूल्य रू0 1018,25,00,000/- (रूपए दस अरब अठ्ठारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) पर अनुमोदन प्रदान करने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया था।

2- लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी के विस्तारीकरण हेतु भूमि का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में मा0 मन्त्रि-परिषद द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2023 को निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

(1) वाराणसी एयरपोर्ट के विकास/ विस्तारीकरण हेतु राजस्व ग्राम पुरारघुनाथपुर, सगुनहां, बैकुण्ठपुर, मंगारी, बसनी, करमी एवं घमहापुर (कर्मी) की निजी भूमि 117.700 है0 (लगभग 291 एकड़) तथा शासकीय भूमि 26.496 है0 (लगभग 65.5 एकड़) अर्थात् कुल 144.196 है0 (लगभग 356.5 एकड़) भूमि के क्रय हेतु भूमि की दरों पर आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदन एवं परियोजना के कुल भूमि मूल्य अनुमानित धनराशि रू0 1018,25,00,000/- (रूपए दस अरब अठ्ठारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) पर प्रशासकीय व वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया।

(2) वाराणसी एयरपोर्ट के विकास/ विस्तारीकरण हेतु वांछित भूमि के क्रय हेतु अनुमानित धनराशि रू0 1018,25,00,000/- (रूपए दस अरब अठ्ठारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) पर देय निबन्धन शुल्क की धनराशि रू0 8,69,54,148/- (रूपए आठ करोड़ उनहत्तर लाख चौवन हजार एक सौ अड़तालीस मात्र) की छूट प्रदान किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इन बैनामों पर स्टाम्प शुल्क की धनराशि देय नहीं होगी; बैनामा लेखन का कार्य शासकीय अधिवक्ता से कराया जाएगा ताकि इस मद में कोई वित्तीय भार शासन पर न पड़े। प्रतिलिपि शुल्क की धनराशि देय होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) आपसी समझौते के आधार पर भूमि के क्रय की नीति विषयक राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 द्वारा विहित व्यवस्था के अनुसार अन्तिम रूप से ऑकलित भूमि को क्रय किए जाने तथा क्रय की गई भूमि को ''श्री राज्यपाल द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0'' के नाम दर्ज किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(4) परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न शासकीय विभागों की परिसम्पित्तयों यथा वृक्षों, सड़कों, नहरों, ए0एन0एम0 केन्द्रों, बिजली के खम्भों, विद्युत लाइन्स, सब-स्टेशनों, विद्यालयों, ऑगनवाड़ी केन्द्रों इत्यादि तथा विभिन्न अवरोधों के विस्थापन, डायवर्जन तथा नव-निर्माण से सम्बन्धित कार्य सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट से वहन किए जाने तथा उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय विभागों द्वारा अपनी भूमि एवं परिसम्पत्तियॉ इत्यादि नि:शुल्क एवं भार मुक्त रूप से नागरिक उड्डयन विभाग को उपलब्ध कराए जाने/अन्तरित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। यदि ऐसा करने से मा0 मन्त्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि में से कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।

(5) परियोजना में किसी प्रकार के परिवर्धन/परिवर्तन की स्थिति में निर्णय लेने हेतु तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में भविष्य में यथावश्यकतानुसार निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी के विस्तारीकरण हेतु भूमि का क्रय किए जाने के लिए मा0 मन्त्रि-परिषद द्वारा लिए गए उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कुमार हर्ष
विशेष सचिव

पृ0सं0- 89/2023/1281(1)/छप्पन-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय/वित्त/कार्मिक/नियोजन/गृह/राजस्व/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन/आवास एवं शहरी नियोजन/ लोक निर्माण/बाल विकास एवं पुष्टाहार/ महिला कल्याण/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ऊर्जा/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/पर्यटन/धर्मार्थ कार्य/बेसिक शिक्षा/स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन तथा संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. जिलाधिकारी, वाराणसी को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 17 जुलाई, 2023 के सन्दर्भ में।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in